

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार झा,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता,  
बिहार।

पटना-15, दिनांक- 16.03.2015

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व -104-सरकारी संपदाओं का प्रबंध-0011-राजस्व प्रशासन पर व्यय मांग संख्या-40 विपत्र कोड-एन0 2029001040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल-19269924/ (एक करोड़ बेरानवे लाख उनहत्तर हजार नौ सौ चौबीस) रुपये का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या-77 (10)रा0 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियान्वयन पर होने वाले आकस्मिक व्यय हेतु निम्नांकित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित स्वीकृत राशि कुल 19269924 /- (एक करोड़ बेरानवे लाख उनहत्तर हजार नौ सौ चौबीस) रूपए मात्र 1301 कार्यालय व्यय मद में वित्तीय वर्ष, 2014-15 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है :-

क्र0	जिला का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये में)	आवंटित राशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	पटना	829978	829978
2	नालन्दा	721720	721720
3	भोजपुर	505204	505204
4	बक्सर	396946	396946
5	रोहतास	685634	685634
6	कैमूर	396946	396946
7	छपरा	721720	721720
8	सिवान	685634	685634
9	गोपालगंज	505204	505204
10	मुजफ्फरपुर	577376	577376
11	वैशाली	577376	577376
12	सीतामढ़ी	613462	613462
13	शिवहर	180430	180430
14	मोतिहारी	974322	974322
15	बेतिया	649548	649548
16	दरभंगा	649548	649548
17	समस्तीपुर	721720	721720
18	मधुबनी	757806	757806
19	सहरसा	360860	360860
20	सुपौल	396946	396946
21	मधेपुरा	469118	469118
22	पूर्णिया	505204	505204
23	अररिया	324774	324774
24	किशनगंज	252602	252602
25	कटिहार	577376	577376
26	गया	866064	866064
27	जहानाबाद	252602	252602

28	नवादा	505204	505204
29	औरंगाबाद	396946	396946
30	अरवल	180430	180430
31	मुंगेर	324774	324774
32	लखीसराय	252602	252602
33	शेखपुरा	216516	216516
34	जमुई	360860	360860
35	खगड़िया	252602	252602
36	बेगूसराय	649548	649548
37	भागलपुर	577376	577376
38	बाँका	396946	396946
	कुल	19269924	19269924

(एक करोड़ बेरानवे लाख उनहतर हजार नौ सौ चौबीस रूपये मात्र)

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में की जायेगी एवं राशि का व्यय बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन हेतु अधिष्ठापन/स्टेशनरी आदि पर व्यय/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जिला कार्यालयों हेतु कार्यालय व्यय के कार्यों पर किया जायेगा।

3. राशि का आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि०/2 दिनांक--17.04.1998 एवं पत्र सं०-6720/वि० दिनांक-25.04.2014 के आलोक में किया जा रहा है।

4. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।

5. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड मांग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

6. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(विनोद कुमार झा),

सरकार के अपर सचिव।

16-3